UPBD010042522025

न्यायालय- सेशन न्यायाधीश, बांदा।

उपस्थित-अल्पना.....उच्चतर न्यायिक सेवा।

(J.O. Code No.- UP 05748)

दाण्डिक निगरानी सं0- 147 / 2025

अर्जुन पुत्र स्व० मोतीलाल निवासी मोहल्ला बंगाली टोला शहर बांदा थाना कोतवाली नगर जिला बांदा।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. झल्लूराम पुत्र स्व० महादेव निवासी मोहल्ला नुनिया मोहाल कटरा शहर बांदा थाना कोतवाली नगर, जिला बांदा।
2. यू०पी० स्टेट जरिये कलेक्टर बांदा।

.....प्रत्युत्तरदातागण

नि र्ण य

1. यह दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता की ओर से न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, बांदा द्वारा वाद संख्या- 450/नौ/2025 झल्लूराम बनाम अर्जुन, अन्तर्गत धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, थाना कोतवाली नगर जिला बांदा में पारित आदेश दिनांकित 26.09.2025 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है।

2. निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी में यह आधार लिया है कि मातहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 26.09.2025 सरासर गलत व बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित है। मातहत न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 26.09.2025 सर्वथा विधिक दृष्टिकोण के विपरीत है। मातहत न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करने में विधिक अविधिक का प्रयोग नहीं किया है। मातहत न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करने में विधिक के आज्ञापक प्रतिभायें का पालन नहीं किया है। मातहत न्यायालय ने प्रश्नगत पत्रावली का सम्यक विवेचन परिशीलन एवं मूल्यांकन नहीं किया है। प्रश्नगत आदेश दिनांक 26.09.2025 किसी भी दशा में बनाये रखे जाने योग्य नहीं है। मातहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रत्येक दृष्टिकोंण से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना की है कि मातहत न्यायालय की पत्रावली तलब करके सम्यक विवेचन, परिशीलन एवं मूल्यांकन कर मातहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 26.09.2025 निरस्त कर रिवीजनकर्ता की रिवीजन मंजूर किये जाने की कृपा करें।

3. निगरानीकर्ता अनुपस्थित चल रहा है तथा उसे पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उसकी ओर से कोई बहस नहीं की गयी है।

4. मेरे द्वारा प्रत्युत्तरदाता सं०-1 के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्युत्तरदाता सं०-2 उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुनकर पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

5. विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह विदित होता है कि परिवादी झल्लूराम के द्वारा विपक्षी अर्जुन के विरूद्ध परिवाद अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट योजित किया गया तथा परिवादी के द्वारा परिवाद पत्र के कथनों के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य में मूल चेक, विपक्षी को दिया गया विधिक नोटिस तथा नोटिस प्राप्ति के संबंध में रसीद, विपक्षी के द्वारा परिवादी के नोटिस का जवाब दाखिल किया गया तथा अपना साक्ष्य शपथ पत्र परिवाद के कथनों के समर्थन में प्रस्तुत किया गया।

6. विचारण न्यायालय के द्वारा परिवादी के अधिवक्ता को सुनकर दिनांक 26.09.2025 को यह आदेश पारित किया गया कि दाखिल प्रपत्रों व प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों व शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता से प्रकरण में विपक्षी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम बनना प्रतीत होता है तथा अभियुक्त/विपक्षी अर्जुन को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में विचारण हेतु जरिये सम्मन तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी अर्जुन के द्वारा उक्त आदेश दिनांक 26.09.2025 से व्यथित होकर यह दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

7. निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी में मुख्य आधार यह लिया गया है कि प्रश्नगत आदेश दिनांकित 26.09.2025 विधिक दृष्टिकोंण के विपरीत है तथा इसमें विधि के आज्ञापक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया तथा पत्रावली का सम्यक विवेचन, परिशीलन व मूल्यांकन नहीं किया गया तथा तलबी आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

8. विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह दर्शित होता है कि परिवादी के द्वारा अपने परिवाद पत्र में यह कथन किया गया है कि विपक्षी ने अपने घर की आवश्यकताओं की पूर्ति व कर्ज उतारने के लिये परिवादी से 15 लाख रूपये का ऋण दिये जाने का निवेदन किया गया तथा परिवादी ने 15 लाख रूपये विपक्षी को प्राप्त कराये जिनमें से तीन लाख रूपये विपक्षी के द्वारा चेक के माध्यम से वापस किये गये तथा शेष धनराशि का तकादा किये जाने पर अपने बैंक खाते का चेक संख्या 753764, मु० 6,00,000/-रूपये दिनांक 20.12.2024 की तिथि अंकित कर तथा चेक संख्या 753765, मु० 6,00,000/-रूपये दिनांक 08.01.2025 की तिथि अंकित कर दी गयी। उक्त चेकों में सभी प्रविष्टियां भरकर तथा हस्ताक्षर करके परिवादी को दी गयी तथा परिवादी द्वारा उक्त चेक को अपने बैंक खाते में जमा करने पर बैंक द्वारा दोनों चेकों को अनादरित कर दिया गया। परिवादी द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से विधिक नोटिस सही पते पर दिनांक 30.01.2025 को निर्गत किया गया जो विपक्षी को प्राप्त हुआ लेकिन विपक्षी ने धनराशि देने से इंकार कर दिया तथा जवाब परिवादी को प्रेषित किया। परिवादी के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. तथा विजय कुमार का शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 225 बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत किया गया तथा

अभिलेखीय साक्ष्य में मूल चेक संख्या 753764 दिनांकित 20.12.2024 व 753765 दिनांकित 08.12.2025, रिटर्न मेमो, विपक्षी को भेजी गयी नोटिस व डाक की रसीद दाखिल की गयी है।

9. जहाँ तक धारा 223 बी.एन.एस.एस. के तहत विपक्षी को नोटिस भेजे जाने व विपक्षी को सुने जाने का प्रश्न है, *माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा* ***Crl. Appeal No.-1755/2010 Sanjabij Tari vs. Kishore S. Borcar & Anr.*** *में इस संबंध में विचार करते हुए निर्णय दिनांकित 25.09.2025 में यह मत व्यक्त किया है कि -*

E. Recently, the High Court of Karnataka in Ashok vs. Fayaz Aahmad, 2025 SCC OnLine Kar 490 has taken the view that since NI Act is a special enactment, there is no need for the Magistrate to issue summons to the accused before taking cognizance (under Section 223 of BNSS) of complaints filed under Section 138 of NI Act. This Court is in agreement with the view taken by the High Court of Karnataka. Consequently, this Court directs that there shall be no requirement to issue summons to the accused in terms of Section 223 of BNSS i.e., at the pre-cognizance stage. इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था के अनुसार धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत अभियुक्त को परिवाद पर संज्ञान लेने से पूर्व सम्मन जारी किये जाने व सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।

10. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कोई ऐसा तथ्य निगरानी न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है कि किस विधिक प्राविधान का पालन तलबी आदेश पारित किये जाते समय विचारण न्यायालय के द्वारा नहीं किया गया है। न्यायालय के मत में विद्वान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, बांदा के द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता दर्शित नहीं होती है तथा उक्त आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है तथा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

11. निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, बांदा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2025 की पुष्टि की जाती है।

आदेश की प्रति संबंधित पत्रावली सहित न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, बांदा को यथाशीघ्र सम्प्रेषित की जाये।

(अल्पना)
दिनांकः 11.06.2026 सेशन न्यायाधीश, बांदा।
(जे.ओ. कोड नं0 UP05748)

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनॉकित करके सुनाया गया।

(अल्पना)
दिनांकः 11.06.2026 सेशन न्यायाधीश, बांदा।
(जे.ओ. कोड नं0 UP05748)